


FORM No- III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट खैरथल-तिजारा मुकाम खैरथल-तिजारा
सनवान योगेश कुमार उर्फ मोनू बनाम सरकार किरम- प्रा0 पत्र सुपुर्दगी आरबी एक्ट
मुकदमा नम्बर 15/03/2024 दा. दि. 10.01.2024

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	-----------------------------------	---

09.02.2024 प्राथी सुपुर्दगार द्वारा आदेश दिनांक 06.02.2024 की पालना में 500000/- रुपये (शब्देन-पांच लाख रुपये) की तस्दीक शुदा जमानत राजपाल यादव पुत्र गोरधन जाति अहीर निवासी इकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला खैरथल-तिजारा तहसीलदार कोटकासिम द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र कमांक 24 दिनांक 08.02.2024 की प्रति पेश की है। साथ ही इस कदर सुपुर्दनामा तैयार कर पेश किया गया है। प्रकरण में प्रस्तुत सुपुर्दनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन महिन्द्रा बोलेरो पिकअप Reg. No. HR47E6402 को सुपुर्दगी पर दिए जाने के आदेश दिए जाते हैं, इस आशय की तहरीर जारी हो, पत्रावली आईन्दा दिनांक 26.02.2024 को पेश हो।


जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा

26/2/2024

आज दिनांक पत्रावली पेक डई।
विभागीय प्रतिनिधी उपस्थित नही थे परावली
कार्डा दिनांक 13/3/2024 को पेकगी 10
महीना प्रमाण कार्डों में लक्ष्मी प्रसावली
दीपान के साथ किनार तिथि में लेखा है।

13/3/2024

आज दिनांक परावली पेक डई।
वकील उपस्थित नही थे प्रकरण में जप्तशुदा
वाहन सुपुर्दगी पर दोष का उठा है, ऐसी स्थिति
में प्रकरण की आगे चलाने रखने का कोई औचित्य
नही है।

अतः प्रकरण में जप्तशुदा वाहन सुपुर्दगी
का दोष का उठा है। प्रापत की कार्यवाही प्रेष की
जाती है प्रापत निर्णय प्रमाण दोष का प्रमाण की कार्ड
कालकील कार्डल प्रापत रिमांड की

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (दा.प)